

of the Southern States, is under consideration of the Inter-Ministerial Committee appointed for the purpose. Naturally, the question of linkage of Cauvery, Krishna, Godavary, Bombay High, Kerala, Konkan basins, the present as well as the future exploratory efforts, will be considered by that Committee when they deliberate on the proposed.

SHRI B. SHANKARANAND: May I add to this, Sir? The question of the hon. Member is a suggestion for action.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: The Gujarat Government has sent a proposal to the Petroleum Ministry to set up a gas-based power project at Gandhar from the Bombay High for utilising the gas, which is being flared. Up till now the Government is not taking any decision. May I know from the Minister when the will take a decision to provide gas to Gandhar and Piperno when the Gujarat Government is prepared to give you the infrastructure?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, we have already answered the question why gas is being flared and when the gas flaring will be eliminated.

I would like to mention to the honourable House that whatever gas is produced within Gujarat is now being used within Gujarat itself. There are demands for the supply of gas which are still pending. It is not as if the gas produced in Gujarat is now being taken to other States. All other requests are pending consideration by the Gas Linkage Committee.

The gas currently being flared, when it is utilised, stands already committed to downstream users and cannot be taken to Pipanod.

MR. CHAIRMAN: Question No. 382.

Pension to Sindhi Freedom FightersN

***382. SHRI SURESH PACHOURI:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from some Sindhi freedom fighters in the recent past for he grant of freedom fighters pension and whether it is a fact that same has not been granted to them despite applying and appealing to Government persistently;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) by when Government propose to grant pension to these freedom fighters?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) से (ग) उत्तर इस धारणा पर आधारित है कि यह संदर्भ उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति है जिन्होंने तत्कालीन सिंधु प्रांत जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में अपनी गतिविधियां चलाई थीं। सरकार को अभी हाल में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्राप्त करने हेतु ऐसे छह सिंधी स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक मामले में पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। सदस्यों के अभाव में दो मामलों को रद्द किया गया है तथा शेष पर कार्रवाई की जा रही है और इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही कुछ शेष प्रकरणों पर कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, इसी प्रकार का प्रश्न इसी राज्य सभा में अंतरांकित 2276 था, जिसका उत्तर 30 मई, 1990 को तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस तरह दिया था :—

“कि जहां तक सिंधी फ्रीडम फाइटर्स का प्रश्न है, उनके प्रकरण निपटाने के लिए एक नान आफिशियल कमेटी का गठन किया गया है जो सिंधी फ्रीडम फाइटर्स के केसिज स्क्रीन करने के लिए बनाई गई है और उनका तुरन्त ही निकाराकरण कर दिया जाएगा।”

यह जवाब 30 मई, 1990 का था और तब से अब तक लगातार गृह मंत्रालय इस प्रकार का जवाब दे रहा है कि सिंधी फ्रीडम फाइटर्स और अन्य फ्रीडम फाइटर्स के प्रकरण शीघ्र ही निपटा लिए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसकी समय-सीमा क्या है ? भारत सरकार के समक्ष 30 नवम्बर, 1991 तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रकरण लम्बित हैं, उन पर विचार कब तक किया जाएगा ? कितने प्रकरण राज्य सरकार की रिपोर्ट न आने की वजह से अब तक लम्बित हैं और इसमें कितने प्रकरण ऐसे हैं जो सिंधी प्रांतों से संबंधित हैं ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

ऐसे कई प्रकरण हैं जिनके संबंध में हमारे इसी सदन के माननीय सदस्यों ने गृह मंत्रालय को लिखा है और जिस पर हमेशा उत्तर में यह कहा गया कि "हां", शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, हम प्रकरण को देख रहे हैं, लेकिन उनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया।

श्री राम लाल राही : सभापति जी मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा, जैसे कि वह बता रहे हैं कि सम्मानित गृह मंत्री ने उनको 30 मई, 1990 को कोई जवाब दिया था, वैसे अगर ये स्पष्ट कर दें कि उन्होंने जो सवाल पूछा है वह पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पूछा है या कि सिंधी प्रांत से संबंधित के लिए पूछा है, अगर इसको वे स्पष्ट कर दें क्योंकि अगर सबके लिए पूछा है ... (व्यवधान) ...

श्री सुरेश पचौरी : दोनों के लिए। सिंधी प्रांत से संबंधित और सारे ... (व्यवधान) ...

श्री राम लाल राही : दोनों के लिए। ठीक है, शुक्रिया। ... (व्यवधान) ...

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Sir, the question is about "Pension to Sindhi freedom fighters". I do not think this question can be extended to all others and can possibly be considered.

A Committee was constituted. The number of applications the Committee got was 72. Out of 72 applications, 61 applications have been sanctioned.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (व्यवधान) आचार्य कृपलानी एंड डा. गिदवानी।

श्री सभापति : आचार्य कृपलानी की कहां एप्लीकेशन रखी हुई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सिन्धी फ्रीडम फाइटर्स से मतलब केवल उनका नहीं है जो इस समय पाकिस्तान में रह

श्री वीरेन जे. शाह : पाकिस्तान का सवाल नहीं है, कराची कांग्रेस और लाहौर कांग्रेस में तो मेन प्रस्ताव हुये। It is not a question of Pakistan.

SHRI S. B. CHAVAN: I am trying to confine myself only to Sindhi freedom fighters who, in fact, had relations with the Sind Province of Pakistan and who, later on, seemed to have come into these areas. A committee was constituted and 72 applications were received by this committee; 61 applications have been sanctioned; and 11 cases have been rejected. So, in that respect, the entire work is over.

श्री सुरेश पचौरी : माल्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे एक साथी माननीय अहलुवालिया जी को अक्टूबर के जवाब में यह कहा था कि हम इस प्रकरण को देख रहे हैं, जो सिन्धी फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने

यह कहा कि जो कमेटी बनायी है उसमें 72 केसेज उसके सामने आये, जिसमें कि 11 निरस्त कर दिये गये और उसी से संबंधित यह जवाब आया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि प्रकरण के निबटारे में इतना समय लग जाता है कि हमारे जो सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वे वैसे ही बहुत बुरज हैं, ईश्वर न करे वे स्वर्ग सिधार जायें। मान्यवर, ऐसे कई प्रकरण हैं कि वे तब निपटायें गये जब वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्ग सिधार गये और वह सुविधा नहीं ले पाये। तो ऐसे प्रकरण कब तक निबटायें जायेंगे, उनकी समय-सीमा क्या है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सभापति जी, इस कमेटी के हद तक तो यह काम पूरा हो गया है और आपने जो पूछा था और जिसका उत्तर मैंने आपको दिया कि उस प्रकरण को मैं देख रहा हूँ, वह उसके सिवाय है। उसके सिवाय जो प्रकरण हैं उसके बारे में 6 केसेज हमारे पास हैं, जिसका ब्यौरा हमारे साथी ने आपको दिया है।

SHRI SUKOMAL SEN: This is the 44th year of Independence. But still, a number of cases of freedom fighters' pension are pending with the Home Ministry. Apart from Sindhis there are others also.

MR. CHAIRMAN: This question is related to Sindhi freedom fighters. (*Interruptions*). No. A supplementary is to be directed to the main issue. The main issue here is the question of Sindhi freedom fighters. We cannot enlarge it and I will not permit it.

SHRI SUKOMAL SEN: Please listen to me.

MR. CHAIRMAN: You put a separate question.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, if any supplementary is arising out of the reply of the Minister, we are entitled to ask it.

MR. CHAIRMAN: It is very simple. I will restrict the supplementaries to Sindhi freedom fighters.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, if the supplementary arises out of the reply of the Minister, you should allow us.

MR. CHAIRMAN: Shri Sukomal Sen.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, my question is, how many cases of freedom fighters' pension are pending with the Home Ministry and when is the Home Ministry expected to dispose of all the cases of freedom fighters' pension? When we write to the Home Ministry, we do not even get a reply, not to speak of disposing of cases. At least details can be given as to how many cases are pending and when they are going to dispose of them.

MR. CHAIRMAN: My sympathies are with your supplementary. But this does not arise out of the main issue. If he answers, I will be happy. But he need not answer. He is not forced to answer.

SHRI SUKOMEL SEN: Sir, it is relevant.

MR. CHAIRMAN: The question is about Sindhi freedom fighters. If you put a question on other freedom fighters, I will be very happy; and if they dispose of, I will be very happy; and I am with you on the question of freedom fighters. But so far as my position as the Presiding Officer here is concerned, my hands are tied by the fact that a supplementary should arise out of the main question.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, let him respond if he wants to respond, if he has knowledge.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I will require notice. Without that I cannot answer this.

MR. CHAIRMAN: That is all. I know that. (*Interruptions*).

कुमारी सईदा खातून : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि गोम्रा के आंदोलन में कितने सिंधी फ्रीडम फाइटर्स थे और ... (व्यवधान) वह जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने भाग लिया था, ऐसे कितने लोगों के पेंशन के केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि राज्य-वार्ड्स कितने सिंधी फ्रीडम फाइटर्स के केसेज अंडर कंसीडरेशन हैं, जिनके जेल के प्रमाणपत्र नहीं मिले या जेल में दीमक उनकी खा गई या कहीं आग लगा दी गई जैसे बालाघाट में भी यह कांड हुआ था, आग लगा दी गई थी... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैडम, बालाघाट, सिंध में नहीं है।

कुमारी सईदा खातून : साहब, सिंधी फ्रीडम फाइटर्स तो हैं बालाघाट में। सिंधी तो हर जगह मौजूद हैं।

श्री सभापति : आपका प्रश्न है कि बालाघाट के सिंधी फ्रीडम फाइटर्स के लिए.... (व्यवधान)

कुमारी सईदा खातून : मैं यह जानना चाहती हूँ कि राज्य वार्ड्स ऐसे कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : वह पूछ रही हैं कि कितने सिंधी फ्रीडम फाइटर्स गोम्रा के आंदोलन में गए थे और उनकी पेंशन के कितने केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं और बालाघाट के सिंधी फ्रीडम फाइटर्स के कितने केस पेंडिंग हैं। अगर हों तो बता दीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : सभापति महोदय, हमने जो रिवाइज जवाब दिया, उसके अंदर यह कहा है कि यह प्रश्न सिर्फ जो फ्रीडम फाइटर्स सिंध से आए हुए हैं, उनकी हद तक सीमित है। अब

जो आपने पूछा है कि सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने सिंधी रहते हैं उनमें से कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इसके लिए आपको अलग नोटिस देना होगा।

Yamuna Action Plan

*383. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Vrindavan is at present denuded of trees and untreated sewage is being discharged through open ditches into river Yamuna thereby polluting it;

(b) if so, whether any Yamuna Action Plan upto Vrindavan is proposed to be formulated to protect and maintain the environment; and

(c) if not, what other measures are proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) Vrindavan is not denuded of trees, but the stretch of Yamuna along it is polluted and untreated sewage is being discharged into the river. A scheme for pollution abatement of the river Yamuna covering, among others, the polluted stretch along Vrindavan is under formulation. The Vrindavan component of the proposed scheme aims at improving the river water quality to the 'bathing' class besides providing river front facilities to protect and maintain the environment of the place.

SHRI DHULESHWAR MEENA: Sir, as you might be aware, as per current popular belief, the sound of Lord Krishna's flute, which once reverberated in the exotic forests off the river bank Yamuna in Vrindavan, is still heard during night time. May I know from the hon. Minister whether any effective programme has been chalked out by the Central Government to restore the beauty of the forests, and his sacred place, which was once the playground of Lord Krishna, and which is